

STATE: Uttar Pradesh



DATED: 18/08/2011

Note: - As per NCVT decision all the instructors must be trained within three years. The State Director/Commissioner/Pvt management are requested to sponsor 30% instructors every year for Training in Trainer Program (in any CTI module) of DGET field Institute.

| SCIR (Standing Committee Inspection Report); DIR (Departmental Inspection Report); Std. Comm (Standing Committee); NR (Not Recommended); NC (Not Considered); SIR (Supplementary Inspection Report); PS (Power Supply); T&E (Tools & Equipment) | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Name, Address & File No. of Institute for ref. & Future correspondence draft | Trade | Units for which affiliation sought / recommended by | | | Approval by Sub-Committee of NCVT | Remarks | |
| | | Instit. | Std. Comm. | DGET | | | |
| 40 Ram Cheej Private ITI, Rupwar Bhagwanpur Dist. Ballia Uttar Pradesh DGET-6/24/4/2010-TC | Electrician | Addl. One Unit | - | Addl. One Unit Total 3(1+1+1) | Addl. One Unit Total 3(1+1+1) | DIR-8/4/2011 w.e.f. Aug 2011 | |
| | Fitter | Addl. One Unit | - | Addl. One Unit Total 3(1+1+1) | Addl. One Unit Total 3(1+1+1) | | |
| 41 Amar Private ITI, Indu Puram Colony, NH-2, Dist. Mathura Uttar Pradesh DGET-6/24/37/2008-TC | Electrician | Addl. One Unit | - | Addl. One Unit Total 3(1+1+1) | Addl. One Unit Total 3(1+1+1) | DIR-20/5/2011 w.e.f. Aug 2011 | |
| | Fitter | Addl. One Unit | - | Addl. One Unit Total 3(1+1+1) | Addl. One Unit Total 3(1+1+1) | | |
| 42 Vijay Pratap Singh Private ITI, Lachhirampur, Dist. Azamgarh Uttar Pradesh DGET-6/24/171/2011-TC (New Pvt.) | Electrician | 2(1+1) | 2(1+1) | 2(1+1) | 2(1+1) | SCIR-1/7/2011 w.e.f. Aug 2011 | |
| 43 S.R.R Private ITI, Vill. Naroholi, P.O. Aduki, Bharatpur Road, Dist. Mathura Uttar Pradesh DGET-6/24/168/2011-TC (New Pvt.) | Electrician | 8(4+4) | 8(4+4) | 8(4+4) | 8(4+4) | SCIR-23/6/2011 w.e.f. Aug 2011 | |
| | Fitter | 4(2+2) | 4(2+2) | 4(2+2) | 4(2+2) | | |
| 44 AP-Tech. Private ITI, Kailhat, Chunar, Dist. Mirzapur Uttar Pradesh DGET-6/24/46/2011-TC | Fitter | 6(3+3) | 6(3+3) | 6(3+3) | 6(3+3) | SCIR-21/2/2011 SIR-27/6/2011 w.e.f. Aug 2011 | |

manu

विदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवाशिक्षण
(अंतर प्रदेश, लखनऊ)

सेवा में
प्रधानमंत्री/प्रधानमंत्री
एनएनडीआरए प्रोवेंट और प्रोमोट प्रशिक्षण संस्थान
कारोवली अट्टाकी नरसपुर रोड
समुदाय

संस्क 6418 / टी-3 / राधा / भाद्रपद/संस्कृत
संस्कृत दिनांक 03/11/2011 2011
विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मिली और एन केन्द्रों के व्यवसाय/वृत्तियों का स्थायी सम्बन्ध
प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय राजधर एन प्रशिक्षण डीएनडीआरए नई दिल्ली में संचित उप
समितियों द्वारा किये गये निर्णय की सूचना को सम्बन्ध में।

संकेत
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपकी सूचित किया जाता है कि आपकी संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की
निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23-06-2011 पर दिनांक 18-08-2011 को महानिदेशालय राजधर एन प्रशिक्षण नई
दिल्ली में अन्तिम व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समितियों को देकर सम्पन्न होगी। उप समितियों द्वारा आपकी संस्थान से
सम्बन्धित उप निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय किया गया है उसका अन्ततः महानिदेशालय नई दिल्ली किये जा रहा
है।

| क्र. सं. | व्यवसाय/एनके विवरण लक्ष्य/केन्द्र द्वारा स्थायी सम्बन्ध का अनुभव किया गया। | सम्बन्ध की गयी | | अनुक्ति |
|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------------|
| | | स्थायी समिति द्वारा | डीएनडीआरए द्वारा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | Electrician 08(4+4) | 08(4+4) | 08(4+4) | SCIR-23/06/11 W.e.f. Aug 2011 |
| 2- | Fitter 04(2+2) | 04(2+2) | 04(2+2) | |

DGET-6/24/168/2011-TC DATED 18/08/2011

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एनएनडीआरए-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एनएनडीआरए-एनके निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डीएनडीआरए-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) सुपरीक विभागीय
- (5) एनएनडीआरए-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एनएनडीआरए-विचार नहीं किया गया।

आपकी अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा संचित आपकी संस्थान से संचित व्यवसायों को सम्बन्ध प्रदान
नहीं कि नहीं है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन व्यवसाय व्यवसायों के प्रशिक्षणियों को आपकी उपरोक्त
भागीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जावेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

निर्देश - का भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा संचित आपकी संस्थान से संचित व्यवसायों को सम्बन्ध प्रदान
नहीं कि नहीं है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन व्यवसाय व्यवसायों के प्रशिक्षणियों को आपकी उपरोक्त
भागीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जावेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अधीनस्थ
[Signature]
[Stamp]

संस्क 6418 / टी-3 / राधा / भाद्रपद/संस्कृत/संस्कृत दिनांक
कारोवली निम्नलिखित को सूचनाएं (एन केन्द्रों के कारोवली से) प्रेषित
संस्तुति निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)केन्द्रों को इस आशय से संकेत कि यह सम्बन्धित निर्णय विन्दु पर निर्णय किया है
(या सम्बन्धित व्यवसाय/केन्द्र को भी अपने स्तर से आशय होगा)।
1. कारोवली संस्था/केन्द्र की भागीदारी सम्बन्धी है।
2. यदि कोई है।
3. एन निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, अन्तिम दिनांक-2011।

[Signature]
[Stamp]